बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक– प्र0 10 / मुक0–01–06 / 2015 3277(5) पटना, दिनांक 27/4/18

आदेश

विषयः– पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के अधीन सरकारी भूमि पर स्थायी अतिक्रमण के रोकथाम एवं प्रबंधन से संबंधित दिशा–निर्देश।

पथ निर्माण विभाग के क्षेत्राधीन पड़ने वाले सरकारी भूमि पर प्रायः देखा जाता है कि स्थानीय लोगों द्वारा स्थायी अतिक्रमण करते हुए मंदिर एवं व्यवसायिक परिसर का निर्माण किया जाता है। सरकारी भूमि के अतिक्रमण से संबंधित एक मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर LPA No.-338/2015 के सुनवाई के क्रम में अतिक्रमण की रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु संस्थागत व्यवस्था बनाने का निदेश दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के निदेश के आलोक में दिनांक–03.04.2018 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में सरकारी भूमि पर अधिग्रहण के रोकथाम एवं प्रबंधन से संबंधित निम्नवत् निर्णय लिया गया है :–

1. **आस्ति पंजी का संधारण :–**

1.1 कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने–अपने प्रमंडलाधीन मालिकाना भूमि की आस्ति पंजी प्रमंडल स्तर पर तैयार कर संधारित किया जायेगा।

1.2 कार्यपालक अभियंता द्वारा तैयार किये गये आस्ति पंजी के आधार पर अधीक्षण अभियंता द्वारा अंचल स्तर पर संकलित करते हुए आस्ति पंजी का संधारण किया जायेगा।

1.3 अधीक्षण अभियंता द्वारा संधारित आस्ति पंजी की एक–एक प्रति (हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी में) संबंधित मुख्य अभियंता कार्यालय एवं मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को भेजा जायेगा।

1.4 मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) द्वारा पथ निर्माण विभाग के मालिकाना भूमि की आस्ति पंजी मुख्यालय स्तर पर संधारित किया जायेगा।

2. पथ निर्माण विभाग के अधीन सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम तथा अतिक्रमण हटाने की मूल जिम्मेवारी कार्यपालक अभियंता / प्रमंडलीय स्तर के पदाधिकारी की होगी।

2.1 सभी कार्यपालक अभियंता द्वारा अपने प्रमंडलाधीन पड़ने वाली सरकारी भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित किया जायेगा।

2.2 पथ निर्माण विभाग के अधीन सरकारी भूमि पर जब भी कोई व्यक्ति या संस्था स्थायी अतिक्रमण करने का प्रयास करें उसी वक्त कार्यपालक अभियंता / प्रमंडलीय स्तर के पदाधिकारी द्वारा स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज किया जायेगा। साथ ही संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा अंचलाधिकारी के न्यायालय में बिहार लोक भूमि अतिक्रमण के अंतर्गत वाद दायर किया जायेगा।

3. पथ निर्माण विभाग के अधीन सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के क्रम में प्रयोग होने वाली मशीनों एवं मानव बल पर होने वाले व्यय का वहन संबंधित कार्यपालक अभियंता / प्रमंडलीय स्तर के पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

4. पथ निर्माण विभाग के अधीन सरकारी भूमि के अतिक्रमण से संबंधित मामले का अनुश्रवण मुख्यालय स्तर पर मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रत्येक माह किया जायेगा।

5. यह आदेश राष्ट्रीय उच्च पथ के अधीन सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के रोकथाम के लिए भी लागू होगा।

16.4.18

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– प्र0 10/मुक0–01–06/2015 3277(S) **पटना, दिनांक**......27/4/18

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना/ सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता /सभी कार्यपालक अभियंता (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित), पथ निर्माण विभाग / मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.4.18

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– प्र0 10/मुक0–01–06/2015 3277(S) **पटना, दिनांक**......27/4/18

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेवसाईट पर प्रचारित करने हेतु प्रेषित।

16.4.18

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव।